बंगाल में सत्ता का नया समीकरण

ममता का चेहरा, अभिषेक की मशीनरी

तृणमूल कांग्रेस भावनात्मक राजनीति से हाई-टेक चुनावी ढांचे की ओर

2026 के बंगाल चुनाव में तृणमूल की नई घेराबंदी को करीब से देख रहे सब

प्रणय घोष। कोलकाता।

2011 में वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहाने वाली तृणमूल कांग्रेस आज एक नए प्रयोग के दौर में है। वर्षों की सत्ता, भ्रष्टाचार के आरोपों और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच पार्टी ने अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव शुरू किया है। 2026 के चुनाव को लक्ष्य बनाकर ममता बनर्जी की जनप्रिय छवि के साथ अभिषेक बनर्जी ने संगठन को डेटा-आधारित, कॉर्पोरेट शैली की चुनावी मशीनरी में ढालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बंगाल की राजनीति अब केवल नारों और रैलियों तक सीमित नहीं, बल्कि बूथ-स्तरीय माइक्रो-मैनेजमेंट की दिशा में बढ़ रही है।

शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा और नारद जैसे मामलों ने तृणमूल की साख पर गहरा असर डाला। कई वरिष्ठ नेता जांच एजेंसियों के दायरे में आए और विपक्ष ने 'भ्रष्टाचार' को मुख्य चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश की। इन परिस्थितियों में पार्टी के सामने दोहरी चुनौती थी, एक, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखना; और दो, संगठन की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करना। यहीं से अभिषेक बनर्जी की भूमिका अधिक निर्णायक होती दिखी। राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद के रूप में उन्होंने संगठनात्मक ढांचे में संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत की।

उत्तराधिकार की अटकलें और भविष्य का संकेत: राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि यदि तृणमूल 2026 में मजबूत प्रदर्शन करती है।

2026: रणनीति की असली परीक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर 2026 के विधानसभा चुनाव पर है। माना जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी पार्टी का चेहरा और जनाधार का केंद्र बनी रहेंगी, लेकिन चुनावी प्रबंधन की कमान अभिषेक के हाथ में होगी। उम्मीदवार चयन, प्रचार का नैरेटिव, कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीतिक हमले- सब एक पूर्वनिर्धारित ब्लूप्रिंट के तहत संचालित होंगे। यह चुनाव केवल सत्ता की वापसी का प्रयास नहीं, बल्कि एक नए संगठनात्मक मॉडल की परीक्षा भी होगा। क्या हाई-टेक चुनावी ढांचा बंगाल की पारंपरिक भावनात्मक राजनीति के साथ संतुलन बना पाएगा? क्या माइक्रो-मैनेजमेंट जमीनी असंतोष को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाएगा? इन सवालों के जवाब 2026 के चुनाव नतीजों से मिलेंगे।

कांग्रेस नेता सीएम हिमंत के खिलाफ 'मानहानिकारक' बयान नहीं दे पाएंगे

गुवाहाटी। ए। एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेताओं- गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ 'मानहानिकारक बयान' देने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने 500 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद, दीवानी न्यायाधीश नयनज्योति शर्मा ने बुधवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए गोगोई, बघेल और सिंह के साथ-साथ एक प्रमुख असमिया दैनिक को न्यायालय में पेश होने तक याचिकाकर्ता के संबंध में किसी भी प्रकार के मानहानिकारक बयान देने या ऐसी सामग्री बनाने, प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया। न्यायाधीश शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अदालत की राय है कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जाता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

शुद्धि पत्र – 1

ई–निविदा सूचना संख्या: 100-एसएनटी–परियोजना–निविदा–2026 दिनांक : 20.12.2025. निविदा जमा करने की तिथि तथा समयः उपरोक्त निविदा संख्या में शुद्धि पत्र – 1 दिनांक 07.02.2026 को जारी किया गया है. निविदा खुलने के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विस्तृत जानकारी/निविदा दस्तावेज का विक्रय, पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु हमारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजी.(परियोजना-II)
सीपीआरओ/10/एसएलडी/686 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail

छ.ग.गृह निर्माण मंडल, वृत - बिलासपुर

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त - बिलासपुर अन्तर्गत संभाग बिलासपुर में (1) अटल विहार योजनांतर्गत बोदरी, फेस-II बिलासपुर में 14 नग HIG 24 नग Jr. MIG 76 नग LIG 67 नग EWS (कुल 181 नग) स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य हेतु प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर

(2) समान आवास योजनांतर्गत देवरीखुर्द फेस-II, बिलासपुर में 04 नग HIG, 14 नग MIG 25 नग LIG एवं 41 नग EWS (कुल 84 नग) स्वतंत्र भवनों के निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य हेतु प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर

(3) सामान्य आवास देवरीखुर्द फेस-II, जिला बिलासपुर में 200 के. एल. डी. क्षमता के एस.टी.पी. के निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत सक्षम श्रेणी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधित विस्तृत विवरण मण्डल वेबसाइट http://cghb.gov.in में उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता, संभाग बिलासपुर के मो.नं. 8103002219 पर संपर्क करें।

S-46881/4 उपायुक्त

कांग्रेस के लिए फ्रंटफुट पर खेलेंगे शशि थरूर!

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का राजनीतिक कद एक बार फिर पार्टी के भीतर मजबूती से उभरता दिख रहा है। संसद में हाल के सत्रों के दौरान सत्ता पक्ष के खिलाफ उनके मुखर और तथ्यों पर आधारित हस्तक्षेपों ने नेतृत्व का ध्यान खींचा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आलाकमान थरूर की सक्रियता और सार्वजनिक रुख से संतुष्ट है और आगामी केरल विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत हैं।

सूत्रों का कहना है कि थरूर को केरल में न केवल प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है, बल्कि रणनीति निर्माण में भी उनकी भूमिका केंद्रीय हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को यह संदेश भी दिया है कि थरूर को लेकर किसी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी या आंतरिक मतभेदों को हवा न दी जाए। पार्टी अब केरल चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की अंतर्कलह से बचना चाहती है।

केरल से राष्ट्रीय नैरेटिव तक- राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने समय रहते थरूर के साथ संतुलन स्थापित कर रणनीतिक कदम उठाया है।

पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- वंदे मातरम् पर सरकारी आदेश असंवैधानिक

नई दिल्ली।ए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों को गाए जाने संबंधी सरकार के आदेश को 'असंवैधानिक' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो वह न्यायालय का रुख करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं।

एलएलपी अधिनियम, 2008, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के विषय में तथा मैढले डेवलपर्स ऐंड मैन्युफैक्चरर्स एलएलपी (इसमें आगे एलएलपी कही गई है) के विषय में

सार्वजनिक सूचना

तदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, और सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के अनुसरण में तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज/एलएलपी, छत्तीसगढ़ की पुष्टि के अधीन, एलएलपी : ACI-3476 धारक एलएलपी इसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ कैलाश त्रिपाठी स्टेडियम के सामने, सेठीनगर, रायगढ़ जूट मिल, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत, 496001 से प्रथम तल, खसरा नंबर 68/19/3, मुंडका औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली–110041 स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, सी/ओ कैलाश त्रिपाठी स्टेडियम के सामने, सेठीनगर, रायगढ़ जूट मिल, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत, 496001 को इस सूचना के आवेदन के 21 (इक्कीस) दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति एलएलपी को उपरिवर्णित वर्तमान पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं हिते मैढले डेवलपर्स
ऐंड मैन्युफैक्चरर्स एलएलपी
हस्ता./–
विकास जैन
नामित भागीदार
स्थान :– छत्तीसगढ़
दिनांक :– 13.02.2026
डीपीआईएन : 07031198

प्रथम पेज के शेष

वायुसेना होगी अजेय....

भी मंजूर की गई। इसका उपयोग निरंतर इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी व टोह लेने के साथ ही दूरसंचार संबंधी सैन्य मकसद के लिए किया जाएगा। यह सौदा वायुसेना की घटती स्क्वॉड्रन संख्या की चुनौती कम करेगा। मिग-21 की दो स्क्वॉड्रन रिटायर होने के बाद वायुसेना सिर्फ 29 स्क्वॉड्रन बची हैं, जबकि दोतरफा युद्ध की चुनौती के बीच भारत को 42 फाइटर स्क्वॉड्रन की जरूरत है।

तीन सड़क हादसों ...

गुरुवार सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वे सड़क किनारे टहल रहे थे तभी रांची की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर के बाद दोनों कई फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। उधर कवर्धा जिले के रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिल्फी से करीब 1 किलोमीटर आगे कोईलाभट्टा के पास गुरुवार को एक ऑटो और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में ऑटो चालक सहित उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'घूसखोर पंडत' का ...

वर्ग को अपमानित क्यों कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग बात है, लेकिन यह किसी को भी अपमानित करने का अधिकार नहीं देती। यह नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध है। जब तक आप हमें बदला हुआ शीर्षक नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे... हमने सोचा था कि फिल्म निर्माता, पत्रकार आदि जिम्मेदार लोग होते हैं। न्यायालय ने पांडे को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि फिल्म 'घूसखोर पंडत' समाज के किसी भी वर्ग को अपमानित नहीं करती।

अभी तक कोई नया शीर्षक तय नहीं: सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अभी तक कोई नया शीर्षक तय नहीं किया गया है और उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि नया शीर्षक ऐसा होगा जिससे कोई विवाद नहीं होगा। पीठ ने कहा कि आप हलफनामा दें कि आप यह शीर्षक नहीं रखेंगे। हम अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत दिए गए अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं। हम बंधुत्व के पहलू को शामिल करना चाहते हैं। यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। हम इस मामले को बंधुत्व से जोड़ना चाहते हैं।

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
ब्लॉक बी-1, पुजारी चेंबर, पचपेढ़ी नाका, रायपुर, छ.ग., मो. 9407685755, 7049119801, sbi.10909@sbi.co.in

मांग सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उन्होंने बैंक से जो ऋण लिया है उसके मूलधन और ब्याज के पुर्नभुगतान में चूक की है जिस कारण उनका खाता अनर्जक आस्ति (NPA) में परिवर्तित हो गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI ACT) 2002 की धारा 13(2) के तहत इन सभी को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था लेकिन उन्होंने बिना तामिल किए वापस लौटा दिया गया अब उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र.	उधारकर्ताओं / जमानतदारों का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण / लागू होने वाली सुरक्षित सम्पत्ति का पता	नोटिस की तिथि एन.पी.ए. की तिथि	बकाया राशि
1.	उधारकर्ता- मेसर्स श्री कृष्णा राइस मिल, प्रो.- श्रीमती सरोज पटेल पति श्री सुनील पटेल, बावबाहरा रोड, ग्राम- कौहाकुड़ा, तहसील- बसना, जिला- महासमुंद, (छ.ग.) - 496331 जमानतदार एवं बंधककर्ता - श्री गणेश कुमार सिदार पिता श्री दानी सिंह सिदार, ग्राम - चिपरीकोना, पोस्ट- तहसील एवं जिला - रायगढ़, (छ.ग.) - 496331 एवं श्रीमती सरोज पटेल पति श्री सुनील पटेल, ग्राम - गीतापाली, तहसील - बसना, जिला - महासमुंद, (छ.ग.) - 493554, जमानतदार - श्रीमती भानुमति पटेल पति श्री रामधन पटेल, ग्राम - गीतापाली, तहसील - बसना, जिला - महासमुंद, (छ.ग.) - 493554	संपत्ति क्रमांक 1) संपत्ति का समस्त भू-भाग, परिवर्तित लीज भूमि (लीज दिनांक 18.05.2046 तक वैध) एवं प्लांट व मशीनरी स्थित खसरा नंबर 447/1 टीयू, प.ह नं 70, ग्राम - कौहाकुड़ा, आरएनएम - पिथौरा, तहसील - पिथौरा, जिला - महासमुंद (छ.ग.), क्षेत्रफल-15064 वर्गफिट, मालिकाना हक- श्रीमती सरोज पटेल पति श्री सुनील पटेल (पट्टाकर्ता: श्रीमती भानुमति पटेल).सीमाएँ (लीज डीड के अनुसार):-उत्तर : श्री प्रेमशंकर पटेल की भूमि,दक्षिण: श्रीमती बाबूलाल रविलाल की भूमि,पूर्व : सड़क,पश्चिम : श्री गयाराम की भूमि। दस्तावेज पुस्तक क्रमांक एडी 1, ग्रंथ क्रमांक 8406, सीरियल क्रमांक 523, लीज डीड दिनांक 19.05.2016, पृष्ठ क्रमांक 74 - 81 तक के अंतर्गत, संपत्ति क्रमांक 2) संपत्ति का समस्त भू-भाग, परिवर्तित भूमि स्थित खसरा नंबर 249/5, प.ह. नं 57, ग्राम - अनलोभोना, आर.एन.एम - किरोड़ीमल नगर, वार्ड नं 42, तहसील एवं जिला - रायगढ़ (छ.ग.), क्षेत्रफल - 0.207 हेक्टेयर, मालिकाना हक- श्री गणेश कुमार सिदार पिता श्री दानी सिंह सिदार। सीमाएँ (टाइटल डीड के अनुसार):उत्तर : श्री भगताराम पिता गजानन्द की भूमि,दक्षिण : विक्रेता की शेष भूमि,पूर्व : विक्रेता की शेष भूमि,पश्चिम : प्रस्तावित मुख्य सड़क।दस्तावेज पुस्तक क्रमांक एडी1, ग्रंथ क्र. 6601, संख्या क्र. 532, सेल डीड दिनांक 01.06.2015, पृष्ठ क्र. 43-51 के अंतर्गत।	10.07.2025 19.12.2024	रू. 76,01,114/- दिनांक 05.07.25 को

इन्हें सूचित करने के लिये प्रतिस्थापित तामिल किया गया है। उपरोक्त उधारकर्ता / जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के पश्चात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI ACT) 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिभूत आस्ति के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ताओं / जमानतदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

यह सूचना अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। व्याख्या के किसी भी मामले में अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा।

दिनांक: 13.02.2026, स्थान- महासमुंद और रायगढ़ — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, सार्ब रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक–06 तोरवा सामुदायिक भवन
फोन नं. 07752 – 222642, फैक्स नं. 07752–413888
E-mail - zone06bmc@gmail.com, Website - www.bmcbilaspur.com

स्वामित्व नामांतरण आम – सूचना

क्र. 2169/न.पा.नि/राजस्व-06/2025-26 — बिलासपुर दिनांक 11/02/2026

हक हस्तांतरण एवं कर निर्धारण के खातों में नाम परिवर्तन संबंधी सूचना

कर संपत्तिकर विभाग नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा विज्ञापन सन् 2024-25 हक हस्तांतरण एवं कर निर्धारण के खातों में नाम परिवर्तन के संबंध में जोन कार्यालय - 06 सामुदायिक भवन तोरवा में आवेदन प्राप्त हुवे हैं। यदि किसी व्यक्ति व संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर जोन क्र. 06 सामुदायिक भवन तोरवा नगर निगम कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) के कार्यालय में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात् आपके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.	वार्ड क्र.	प्रकरण क्र. एवं दिनांक	जिनके नाम पर दर्ज है	जिनके नाम पर दर्ज करना है	आधार (संलग्न दस्तावेज)
1	45	16089/73 30-01-26	सरोज बाविसटाले पति नामदेव बाविसटाले	सुबोध कुमार पिता सरदू प्रसाद	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
2	45	16089/74 02-02-26	अजीत कुमार बिश्वास पिता राजेन्द्र नाथ बिश्वास	अरुण रतन विश्वास पिता अजीत कुमार विश्वास	मृत्यु प्रमाण पत्र, बी 1 पी 2,
3	45	16089/75 02-02-26	सैय्यद इकबाल पिता स्व. एम. एम. हसन व अन्य	सौरभ बिजवानी पिता अशोक बिजवानी	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
4	39	16089/76 02-02-26	स्वपन कुमार राय पिता अशो कुमार राय	पंचाली चटर्जी पति शांतनु चटर्जी	डायवर्सन प्रपत्र, शपथ पत्र
5	39	16089/77 02-02-26	शंकर सिन्हा पिता आर.एन. सिन्हा	दिनेश कुमार प्रसाद पिता शिवपूजन	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, डायवर्सन प्रपत्र
6	39	16089/78 02-02-26	देश पाण्डेय पिता एस. देश पाण्डेय	मीनाक्षी अवस्थी पति दिनेश कुमार	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
7	39	16089/79 02-02-26	देवीदास वाधवानी पिता हंसराज वाधवानी	शिरिन वाधवानी पिता स्व. देवीदास वाधवानी	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
8	38	16089/80 04-02-26	रामरतन मौर्य पिता मंगली मौर्य	निलेश मौर्य पिता सुरेन्द्र कुमार	विक्रय पत्र, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
9	38	16089/81 04-02-26	रामरतन मौर्य पिता मंगली मौर्य	दुर्गा किरण पटेल पति आशीष कुमार मौर्य	विक्रय पत्र, सम्पत्ति कर रसीद, शपथ पत्र, बी 1 पी 2, डायवर्सन प्रपत्र
10	43	16089/82 04-02-26	श्रीनिवास बोड्डा पति बी. बालाजी राव	मालती चंद्रा पति अनिल कुमार चंद्रा	विक्रय पत्र, सम्पत्ति कर रसीद, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,
11	45	16089/83 05-02-26	प्रभुनाथ प्रसाद पिता शिवप्रसाद	तृष्णा विश्वास पति निखिल विश्वास	विक्रय पत्र, सम्पत्ति कर रसीद, शपथ पत्र, बी 1 पी 2,

वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान — जोन आयुक्त, जोन क्र. 06, तोरवा, न.पा.नि., बिलासपुर (छ.ग.)

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 06.03.26 एवं 17.03.26
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-नीलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की विक्रय "जहाँ है जैसा है" "जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियें के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपतियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ईएमडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	उधारकर्ता- मेसर्स दादी पिलाशन धान प्रसंस्करण मिल, प्रोप / बंधककर्ता- श्रीमती ममता गुप्ता पति राजकुमार गुप्ता. जमानतदार/बंधककर्ता- श्री राजकुमार गुप्ता पिता नेतराम गुप्ता एवं श्रीमती सुमन बोंदिया पति श्री. साजन बोंदिया. शाखा- बीडीए, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश तिग्गा, 9630007487	संपति क्रमांक 1) खसरा नं. - 161/205/3/2 (161/205/3 का भाग) प. ह नं. - 13, डीड नं. -2675, दिनांक - 16/12/2011, बैकुंठपुर, रायगढ़ में क्षेत्रफल- 9200 वर्गफीट पर स्थित भवन, मालिकाना हक - श्रीमती ममता गुप्ता पति श्री राजकुमार गुप्ता। भौगोलिक निर्देशांक- 21.9036905574793, 83.38471904397011 संपति क्रमांक 2) खसरा नंबर - 161/205/3/3 (161/205/3 का भाग), प. ह. नंबर - 13, डीड नंबर -2659, दिनांक - 16/12/2011, बैकुंठपुर, रायगढ़ में क्षेत्रफल- 8600 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती सुमन बोंदिया पति श्री साजन कुमार बोंदिया। भौगोलिक निर्देशांक- 21.90415374485518, 83.38492456823587 संपत्ति क्रमांक 3) संपत्ति एवं प्लांट व मशीनरी - खसरा नंबर- 409 एवं 410, बारपाली, प. ह नंबर- 13, आरआईसी सरिया, बारपाली, बारामकेला, रायगढ़ में क्षेत्रफल- 50960.52वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक -मेसर्स दादी पिलाशन पैडी प्रोसेसिंग मिल, प्रोप.- श्री ममता गुप्ता पति श्री राजकुमार गुप्ता। भौगोलिक निर्देशांक- 21.612245760485294 ,83.32459330558777	1) 08.06.2023 2) रू 4,13,90,662.24 + दिनांक 18.05.2023 से ब्याज प्रभावी 3) 06.09.23 को सांकेतिक कब्जा	रू. 81.97 लाख रू. 8.19 लाख रू. 76.63 लाख रू. 7.66 लाख रू. 210.58 लाख रू. 21.05 लाख
2	उधारकर्ता- मेसर्स मोहम्मद शाहिद फ्रूट कंपनी, प्रोप.- मोहम्मद शाहिद राईन, जमानतदारों- श्रीमती शाइस्ता प्रवीण राईन व मोहम्मद जाहिद राईन, बंधककर्ता- श्रीमती शाइस्ता प्रवीण राईन, शाखा- नंदनी रोड, भिलाई 215800. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493	भूमि एवं भवन, प्लांट व मशीनरी - खसरा नं. 481/1, प.ह नंबर 21, ग्राम-रैवती, तहसील-बोरी, जिला-दुर्ग (छ.ग) में क्षेत्रफल - 0.020 हेक्टेयर या 2152 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती शाइस्ता परवीन राईन, आगे यह संपत्ति मोहम्मद शाहिद राईन को पट्टे पर दी गई है। .सीमाएँ- उत्तर: धुकेल की संपत्ति, दक्षिण: महेश की संपत्ति, पूर्व: धरसा रोड, पश्चिम: महेश की संपत्ति; भौगोलिक निर्देशांक - 21.278970, 81.219297	1) 21-11-2024 2) रू 81,51,148.15 + दिनांक 21-11-2024 से ब्याज प्रभावी 3) 18-02-25 को सांकेतिक कब्जा	रू. 8.60 लाख रू. 0.86 लाख
3	उधारकर्ता - मेसर्स छत्तीसगढ़ साड़ी सेल्स, प्रो.- श्री त्रिलोचन सिंह होरा, जमानतदार/बंधककर्ता- श्रीमती परमीत कौर होरा पति श्री त्रिलोचन सिंह होरा, शाखा - कोरबा, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश तिग्गा, 9630007487	व्यावसायिक संपत्ति- दुकान नं एफ एफ61, सिटी सेंटर, पावर हाउस रोड, खसरा नं 551/26, 551/33, 594/1, 594/2क, 594/2ख, 594/2ग, 595, 596/2 का भाग, वार्ड क्रमांक 02, कोरबा, तहसील एवं जिला- कोरबा (छ.ग.), क्षेत्रफल - 431.20 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती परमीत कौर होरा पति श्री त्रिलोचन सिंह होरा, भौगोलिक निर्देशांक - 22.35102, 82.70005	1) 23.09.2022 2) रू. 27,94,325.00 + दिनांक 23.09.2022 से ब्याज प्रभावी 3) 19.01.23 को सांकेतिक कब्जा	रू. 31.34 लाख रू. 3.13 लाख
4	उधारकर्ता एवं बंधककर्ता - मेसर्स मां महामाया गुड़ उद्योग, प्रो.-श्रीमती तारेश्वरी राजपूत पति श्री राजाराम राजपूत, शाखा: कवर्धा (610700), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कुमार, 9770780508	भूमि एवं भवन - खसरा नं 722, प.ह नं 31 (डीड के अनुसार)/24 (डायवर्सन आदेश के अनुसार), आरआईसी-दशरंगपुर, तहसील एवं जिला-कबीरधाम, छ.ग. में क्षेत्रफल -1.00 एकड़ या 0.405 हेक्टेयर पर स्थित साम्यिक बंधक परिवर्तित संपत्ति , मालिकाना हक- श्रीमती तारेश्वरी राजपूत पति श्री राजाराम राजपूत. सीमाएं- उत्तर : अविहित भूमि, दक्षिण : बेसेटी डावरा, पूर्व : अविहित भूमि, पश्चिम : पक्की रोड। भौगोलिक निर्देशांक -21.908375,81.336851	1) 25.10.2021 2) रू. 53,95,295.43 + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3) 10.03.22 को सांकेतिक कब्जा	रू. 39.10 लाख रू. 3.91 लाख
5	उधारकर्ता: श्री राम प्रसाद बघेल पिता स्वर्गीय राम बघेल, जमानतदारों- श्री राम कुमार बघेल, श्री राम भजन बघेल, श्री अमर दास बघेल, श्री अग्र दास बघेल एवं श्रीमती शिल्पा देवी, शाखा- कवर्धा, 208520, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कुमार, 9770780508	संपत्ति क्रमांक 1) आवासीय भवन (जी+1), खसरा नं 206/28, 209/18, प.ह नं 12, मौजा – समनापुर, क्षेत्रफल 0.081 हेक्टेयर = 8712 वर्गफुट, ग्राम समनापुर, शिव विहार कॉलोनी, सीएसपीडीसीएल कवर्धा कार्यालय के पास, तहसील – कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) पर स्थित संपत्ति। सीमाएँ: उत्तर - नाला, दक्षिण - योगेश शास्त्रिया की संपत्ति, पूर्व - मुरुम रोड, पश्चिम - मुरुम रोड। भौगोलिक निर्देशांक: 22.017523, 81.234789, संपत्ति क्रमांक 2) व्यावसायिक सह आवासीय भवन - खसरा नं. 189/4, प.ह नं. 21, ग्राम पोंडी, मौजा ग्राम पोंडी, क्षेत्रफल 0.073 हेक्टेयर = 7840.97 वर्गफुट, तहसील- बोड़ला, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) पर स्थित संपत्ति। सीमाएं :-उत्तर - राम प्रसाद बघेल का घर, दक्षिण - जबलपुर बोड़ला रोड, पूर्व - सुशील गुप्ता का प्लॉट, पश्चिम - शिव बंजारे की संपत्ति भौगोलिक निर्देशांक: 22.017523,81.234789	1) 11.06.2024 2) रू. 82,84,752.56 + दिनांक 13.06.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 04.09.24 को सांकेतिक कब्जा	रू. 75.77 लाख रू. 7.58 लाख रू. 50.58 लाख रू. 5.05 लाख
6	उधारकर्ताओं- श्री नरेंद्र यादव, श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजू यादव, श्रीमती प्रीति यादव एवं श्रीमती सरिता यादव, रामकुंड, वार्ड नं. 16-रायपुर (छ.ग.), शाखा- देवेंद्र नगर, रायपुर, 748400, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय भूमि एवं भवन (G+1) : प्लॉट खसरा नं- 456/1(भाग) प ह नं - 106-बी, मौजा - चिरहुलडीह, रामकुंड वार्ड नं-16, तहसील एवं जिला -रायपुर में क्षेत्रफल- 2295 वर्गफीट पर संपत्ति स्थित है। मालिकाना हक- श्री नरेन्द्र यादव, सुमन यादव, अंजू यादव एवं प्रिति यादव, सीमाएँ: उत्तर - इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान, दक्षिण - मोबाइल की दुकान, पूर्व - अन्य मकान, पश्चिम - सड़क। भौगोलिक निर्देशांक: 21.243371, 81.617433	1) 03.11.2018 2) रू 47,74,063.88 + दिनांक 03.11.2018 से ब्याज प्रभावी 3) 05.01.19 को सांकेतिक कब्जा	रू. 46.69 लाख रू. 4.67 लाख
7	उधारकर्ता- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री वीरेंद्र मोहन सिंह, सह-उधारकर्ता- श्री वीरेंद्र मोहन सिंह पिता स्व. शिवचंद्र प्रसाद सिंह, जमानतदार: श्री. तुलसीराम फरकुंडे पिता स्व. श्रीराम फरकुंडे एवं श्रीमती वेनु बाई फरकुंडे पति श्री तुलसीराम फरकुंडे, शाखा-देवेंद्र नगर, रायपुर (748400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय भूमि एवं भवन- खसरा नं 130/246 (540 वर्गफुट) एवं खसरा नं 130/274 का भाग (400 वर्गफुट), प.ह. नं 107/37, साहू किराना स्टोर के पास, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, छोटा भवानी नगर, टीचर्स कॉलोनी, मौजा कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्र. 02, रायपुर, आरएनएम रायपुर-2, तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग.) में क्षेत्रफल - 940 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिक- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री वीरेंद्र मोहन सीमाएँ उत्तर: रवि दुबे की भूमि, दक्षिण: सड़क, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: तिवारी एवं विक्रेता की भूमि; भौगोलिक निर्देशांक: 21.262316,81.609207	1) 09-06-2021 2) रू 29,67,029.34 + दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 21-10-21 को सांकेतिक कब्जा	रू. 26.19 लाख रू. 2.61 लाख
8	उधारकर्ता: मेसर्स डी ए इंटरप्राइजेज, प्रो.- श्री धीरज जादवानी, शाखा- स्टेशन रोड 106600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	कार्यालय नं -1) कार्यालय संख्या 221, खसरा नं 439/1 (भाग), क्षेत्रफल 300 वर्गफुट, लाल गंगा मेंशन, वार्ड संख्या 37, जवाहर नगर, आरएनएम- रायपुर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर पर स्थित संपत्ति. सीमाएं :- उत्तर-कॉरिडोर, दक्षिण -रोड , पूर्व - कार्यालय संख्या -222, पश्चिम - कार्यालय संख्या 220, भौगोलिक निर्देशांक - 21.247357, 81.634051 कार्यालय नं -2) कार्यालय संख्या 18, खसरा नं 439 (भाग), क्षेत्र 205 वर्गफुट, लाल गंगा मेंशन, वार्ड संख्या 37, जवाहर नगर, रायपुर आरएनएम - रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, सीमाएं :- उत्तर - कार्यालय नंबर 19, दक्षिण- कार्यालय नंबर -17, पूर्व-पैसेज, पश्चिम - आसमान की ओर खुला, भौगोलिक निर्देशांक - 21.247357, 81.634051	1) 25-11-2021 2) रू 47,57,449.00 + दिनांक 01-11-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 30-08-22 को सांकेतिक कब्जा	रू. 14.54 लाख रू. 1.45 लाख रू. 11.50 लाख रू. 1.15 लाख
9	उधारकर्ता- श्री राजेश आहूजा, श्री रमेश आहूजा, श्री विकास आहूजा, श्रीमती सुशीला आहूजा, श्रीमती प्रिया आहूजा एवं श्रीमती सौम्या आहूजा,शाखा: अनुपम नगर, रायपुर, 296600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय मकान- मकान नंबर- एमआईजी-बी-80, कविता नगर, शंकर नगर, प.ह. नंबर-113, कविता गृह निर्माण समिति, महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 28, खसरा नंबर 326 का भाग, मौजा-तेलीबांधा, रायपुर में क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती सुशीला आहूजा, श्री रमेश आहूजा एवं श्री विकास आहूजा, सीमाएं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: मकान नंबर एमआईजी-बी/79, पूर्व: मकान नंबर एमआईजी सी/90, पश्चिम: सड़क, भौगोलिक निर्देशांक: 21.14333, 81.40162	1) 17.08.2019 2) रू. 1,24,33,368.00 + दिनांक 01.08.2019 से ब्याज प्रभावी 3) 03.07.23 को भौतिक कब्जा	रू. 100.30 लाख रू. 10.03 लाख
10	उधारकर्ता: श्री मनीष कुमार देवांगन पिता श्री उत्तम कुमार देवांगन, सह-उधारकर्ता: श्रीमती रजनी देवांगन पति श्री मनीष देवांगन, शाखा - रायपुर, अनुपम नगर(296600), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय भूमि एवं भवन स्थित खसरा नंबर 652/5 (पुराना खसरा नंबर 652/2), ग्राम- रायपुरा, फेस-2, "बंछोर एस्टेट" सत्यम विहार, माधव राव सप्रे, वार्ड नं 68, प.ह नंबर 104/57, आरआईसी- रायपुर, रायपुरा, जिला- रायपुर (छ. ग) पिन- 492001, क्षेत्रफल: 800 वर्ग फीट, मालिकाना हक - श्री मनीष कुमार देवांगन पिता श्री उत्तम कुमार देवांगन। सीमाएं- उत्तर: निकिता पंजाबी का घर, दक्षिण: (विक्रेता) अश्वनी बंछोर का मकान, पूर्व: सड़क, पश्चिम: बिसेन जी का मकान; भौगोलिक निर्देशांक: 21.223752, 81.599690	1) 01-03-2024 2) रू 27,67,530.20 + दिनांक 01-03-2014 से ब्याज प्रभावी 3) 19-07-24 को सांकेतिक कब्जा	रू. 28.61 लाख रू. 2.86 लाख
11	उधारकर्ता: मेसर्स गुरुदेव सेल्स कॉरपोरेशन, प्रोप.- श्री गौतम चंद जैन पिता श्री मुकन चंद जैन, जमानतदार/बंधककर्ता- श्रीमती बसंती उर्फ श्रद्धा जैन पति श्री गौतम चंद जैन, शाखा: कटोरा तालाब,रायपुर (324600) संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय प्लॉट खसरा नं 1074/61 (भाग), प. ह नं 106,सोनकर बाड़ी, अश्विनी नगर, कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड नं 65, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग) में क्षेत्रफल: 917 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती बसंती उर्फ श्रद्धा जैन पति श्री गौतम चंद जैन एवं श्री गौतम चंद जैन पिता श्री मुकन चंद जैन सीमाएं :- उत्तर: पुष्पा लोढ़ा का मकान, दक्षिण:खुला प्लॉट, पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: 20' चौड़ी सड़क।भौगोलिक निर्देशांक: 21.235311,81.617513	1) 09-05-2022 2) रू 1,00,55,345.85 + दिनांक 30-04-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 28-07-22 को भौतिक कब्जा	रू. 20.63 लाख रू. 2.06 लाख
12	उधारकर्ता- मेसर्स न्यू सुपर तिरुपति बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीन सिंह पिता श्री रुद्र नारायण. शाखा - समता कॉलोनी, रायपुर (211910), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	संपत्ति क्रमांक 1) भूमि एवं भवन - प्लॉट नं एस-180, खसरा नं 397/1 का भाग, प.ह नं 100, रायपुर विकास प्राधिकरण डॉ. खूबचंद बघेल रावभाटा नगर योजना, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 13, ट्रांसपोर्ट नगर, मौजा रावाभाटा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 538 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : मेसर्स न्यू सुपर तिरुपति बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीण सिंह पिता श्री रुद्र नारायण सिंह। सीमाएं:- उत्तर-भवन नं डब्लू 2-38, दक्षिण- सेटबैक, पूर्व- भवन नं एस-179, पश्चिम-भवन नं एस-182. भौगोलिक निर्देशांक: 21.316621,81.638938 संपत्ति क्रमांक 2) भूमि एवं भवन - प्लॉट नं एस-181, खसरा नं 397/1 का भाग, प.ह नं 100, रायपुर विकास प्राधिकरण डॉ. खूबचंद बघेल रावभाटा नगर योजना, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 13, ट्रांसपोर्ट नगर, मौजा रावाभाटा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 538 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : मेसर्स न्यू सुपर तिरुपति बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रो.- श्री प्रवीण सिंह पिता श्री रुद्र नारायण सिंह। सीमाएं:- उत्तर-भवन नं डब्लू 2-39, दक्षिण- सेटबैक, पूर्व- भवन नं एस-180, पश्चिम-भवन नं एस-182. भौगोलिक निर्देशांक: 21.316621,81.638938 *नोट: संपत्ति क्रमांक 1 एवं 2 संयुक्त रूप से साथ में बेची जाएंगी।	1) 08-08-2024 2) रू 29,12,599.00 + दिनांक 30-07-2024 से ब्याज प्रभावी 3) 06-12-24 को सांकेतिक कब्जा	रू. 40.00 लाख रू. 4.00 लाख
	संख्या क्रमांक 13 से 19 के लिए: ई-नीलामी तिथि- 17/03/2026 एवं समय- सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक			
13	उधारकर्ता- मेसर्स श्री सिद्धि विनायक फ्लाई ऐश ब्रिक्स, प्रोप.-श्रीमती किरण देवी अग्रवाल पति श्री सुभाष चंद अग्रवाल, शाखा- रायगढ़,146720, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश तिग्गा,9630007487	फैक्टरी भूमि, शेड एवं मशीनरी- खसरा नंबर 26/2, ओडेकरा, सरायपाली चांपा, क्षेत्रफल: 0.138 हेक्टेयर, प. ह नं 12, आर.एन.एम.: चंद्रपुर, जिला: जांजगीर-चांपा (छ.ग). सीमाएँ - उत्तर: गीता राइस मिल, दक्षिण: सुभाष चंद अग्रवाल का मकान एवं शेष भूमि, पूर्व: सुभाष चंद अग्रवाल की भूमि, पश्चिम: सुभाष चंद अग्रवाल की भूमिभौगोलिक निर्देशांक: 21.077529, 81.743882	1) 04-01-2020 2) रू. 18,71,405.00 + दिनांक 04-01-2020 से ब्याज प्रभावी 3) 05-11-22 को सांकेतिक कब्जा	रू. 18.15 लाख रू. 1.82 लाख
14	उधारकर्ता- श्री नीरज शर्मा पिता श्री प्रेम नारायण शर्मा, शाखा-रायगढ़,146720, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश तिग्गा,9630007487	आवासीय संपत्ति - खसरा नंबर 257/2, ग्राम भेंडरा, क्षेत्रफल- 0.223 हेक्टेयर (23958 वर्ग फुट), पी.सी नंबर 8 (पुराना 22), आर.आई. सर्कल व तहसील - घरघोड़ा, जिला- रायगढ़ (छ.ग.), मालिकाना हक - श्री नीरज शर्मा। सीमाएँ: उत्तर: पद्मा का प्लॉट, दक्षिण: बालकदास का प्लॉट, पूर्व: करपाली सीमा, पश्चिम: रामेश्वर एवं सन्त राम का प्लॉट। भौगोलिक निर्देशांक: 22.152422, 83.354564	1) 04-07-2019 2) रू 23,52,040.00 + दिनांक 04-07-2019 से ब्याज प्रभावी 3) 17-02-19 को सांकेतिक कब्जा	रू. 19.55 लाख रू. 1.95 लाख
15	उधारकर्ता- साबिर अली पिता मोहम्मद रईस अली, बावली कुंआ, शाखा- रायगढ़ (213410), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश तिग्गा, 9630007487	दुकान - दुकान नं एस/216 एवं एस/217, प.ह नं 23, द्वितीय तल, वार्ड क्रमांक 1, "इला मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बायपास रोड, बैकुंठपुर, रायगढ़ (छ.ग.) में क्षेत्रफल 1006 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- साबिर अली पिता मोहम्मद रईस अली, सीमाएं: उत्तर : आसमान की ओर खुला,दक्षिण : लॉबी, पूर्व : आसमान की ओर खुला, पश्चिम : दुकान नं एस/215. भौगोलिक निर्देशांक: 21.909969, 83.380395	1) 16-06-2021 2) रू 32,36,646.92 + दिनांक 16-06-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 15-11-21 को सांकेतिक कब्जा	रू. 12.82 लाख रू. 1.28 लाख
16	उधारकर्ता: मेसर्स तनिष्क एंटरप्राइजेज, प्रो. श्रीमती दीप्ति बनर्जी पति श्री जयदीप बनर्जी, जमानतदार - श्री जयदीप बनर्जी पिता श्री टी.एन. बनर्जी शाखा- तात्यापारा, रायपुर (768500), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय प्लॉट- खसरा नंबर 1528/1 (भाग), प.ह नं नंबर- 16, ग्राम- बकतरा, तहसील- अभनपुर, जिला- रायपुर में क्षेत्रफल: 5850 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती दीप्ति बनर्जी, सीमाएँ - उत्तर: अखंड प्रताप की भूमि, दक्षिण: डॉ. विजय लक्ष्मी की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: पेंटर की भूमि; भौगोलिक निर्देशांक: 21.077160,81.743842	1) 13-08-2018 2) रू. 34,65,529.64 + दिनांक 01-07-2018 से ब्याज प्रभावी 3) 07-02-19 को सांकेतिक कब्जा	रू. 12.52 लाख रू. 1.25 लाख
17	उधारकर्ता-मेसर्स हिमांशु इंटरप्राइजेज, प्रोप. -श्री हिमांशु मोटवानी, जमानतदार -श्रीमती मीना मोटवानी, शाखा - तात्यापारा, रायपुर - 768500, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	संपत्ति क्रमांक 1) आवासीय भूमि - खसरा नंबर 578/1 एवं 578/3, प्लॉट नंबर 973, 974, 975, 976, 984, 985, 986, पीएच नंबर 90 (नया 20), मौजा - सिलतरा, जी.के. टाउनशिप, बिलासपुर एन.एच के बगल में, आरएनएम धारसीवा -1, तहसील एवं जिला - रायपुर में क्षेत्रफल - 5602 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक -श्रीमती मीना मोटवानी पति श्री जयराम दास मोटवानी. भौगोलिक निर्देशांक - 21.384160, 81.669157 संपत्ति क्रमांक 2) आवासीय भूमि - खसरा नंबर 576/1 एवं 576/3, प्लॉट नंबर 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, पीएच नंबर 90 (नया 20), मौजा - सिलतरा, जी.के. टाउनशिप, बिलासपुर एन.एच के बगल में, आरएनएम धारसीवा -1, तहसील एवं जिला - रायपुर में क्षेत्रफल - 5602 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री हिमांशु मोटवानी पिता श्री जयराम दास मोटवानी। भौगोलिक निर्देशांक - 21.384160, 81.669157	1) 10-05-2021 2) रू 1,30,07,669.00 + दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 14-02-22 को सांकेतिक कब्जा	रू. 27.85 लाख रू. 2.78 लाख रू. 27.85 लाख रू. 2.78 लाख
18	उधारकर्ता- मेसर्स मोहम्मद जाहिद फ्रूट मर्चेंट, प्रो.-मोहम्मद जाहिद राईन, जमानतदार- श्री बहुर सिंह निषाद व श्री तुलसी राम, बंधककर्ता -मोहम्मद जाहिद, श्री बहुर सिंह निषाद एवं श्री तुलसी राम, शाखा- नंदनी रोड, भिलाई 215800, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493	संपत्ति क्रमांक 1) खसरा नं 601/9, प.ह नं 56, मौजा- कसारडीह, शास्त्री चौक के पास, डिमारपारा, कचहरी वार्ड नं 39, मौजा - दुर्ग, तहसील एवं जिला - दुर्ग (छ.ग) में क्षेत्रफल - 1375 वर्गफुट पर स्थित आवासीय मकान, मालिकाना हक- श्री बहुर सिंह एवं श्री तुलसी राम। सीमाएँ:उत्तर-विक्रेता की भूमि,दक्षिण- अन्य का मकान, पूर्व- रामकली साहू की संपत्ति, पश्चिम- सड़क. भौगोलिक निर्देशांक: 21.183081, 81.280516 संपत्ति क्रमांक 2) एक मंजिला आवासीय मकान खसरा नंबर 46/64, प.ह नंबर 16/24,बांधा तालाब के सामने, अमर हाइट्स के पीछे, रामदेव मंदिर वार्ड नंबर 35, मौजा - दुर्ग, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छ.ग.) में क्षेत्रफल 800 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति , मालिकाना हक- मोहम्मद जाहिद।सीमाएं:उत्तर- सड़क ,दक्षिण - संजय राजपूत का मकान,पूर्व - भुजबल यादव का मकान,पश्चिम- सड़क, भौगोलिक निर्देशांक: 21.183827,81.288467	1) 05-01-2024 2) रू 22,59,797.00 + दिनांक 05-01-2024 से ब्याज प्रभावी 3) 18-02-25 को सांकेतिक कब्जा	रू. 16.11 लाख रू. 1.61 लाख रू. 15.32 लाख रू. 1.53 लाख
19	उधारकर्ता- चौधरी बरदाना, श्री शुभम चौधरी पिता श्री रामबाबू चौधरी, शाखा- स्टेशन रोड, रायपुर-106600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606	खसरा नं 219/2, प.ह. नं 101, मौजा- उरला बीरगांव, गुरुघासीदास वार्ड नं 20, आरएनएम धरसींवा-1, तहसील / जिला रायपुर (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 12270.86 वर्गफुट/0.114 हेक्टेयर पर स्थित अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, मालिक- श्री शुभम चौधरी, सीमाएं- उत्तर: ईश्वर की भूमि, दक्षिण: रामाधार की भूमि, पूर्व: पप्पू की भूमि, पश्चिम: सेवेज लाइन. भौगोलिक निर्देशांक:21.318694,81.606488	1) 12-05-2021 2) रू 1,90,81,900.00 + दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 01-11-21 को सांकेतिक कब्जा	रू. 42.76 लाख रू. 4.27 लाख

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : श्री कलिन्द्र साहू-9412956480, श्री संजय कुमार बिस्वाल-9437666379 - एआरएमबी, रायपुर, दूरभाष क्र. - 0771-2210433/35

नोट:- 1) कृपया अमानत राशि जमा करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल सुनिश्चित करें
2) उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी. 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को संख्या क्र. 1 से 12 के लिए ई-नीलामी तिथि- 06/03/2026 एवं संख्या क्र. 13 से 19 के लिए ई-नीलामी तिथि- 17/03/2026 व समय सुबह 11.00 बजे से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री संख्या क्र. 1 से 12 के लिए ई-नीलामी तिथि- 06/03/2026 एवं संख्या क्र. 13 से 19 के लिए ई-नीलामी तिथि- 17/03/2026 व समय सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Chronicle दिनांक 13.02.2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही माना होगा।

नोट:- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना लें।

दिनांक: 13.02.2026, स्थान: रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार